

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 437

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

437. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का पेट्रोकेमिकल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना से जुड़े एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के निर्माण का विचार है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की योजना है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुख्य रूप से निजी निवेश प्रेरित पहलें हैं, जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग से स्थापित किया जा सकता है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित अनुमोदन बोर्ड एसईजेड स्थापित करने के केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है, जिनकी संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत सिफारिश की गई है। वर्तमान में राजस्थान में 06 अधिसूचित एसईजेड हैं जिनमें से 03 परिचालित हैं। वर्तमान में, राजस्थान राज्य में पेट्रोकेमिकल निर्यात के लिए किसी भी एसईजेड सहित ऐसे एसईजेड की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।
